

पत्रांक :-3/विधि-7-37/2014 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 2886 दिनांक 19.10.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 (पी0बी0-III) ग्रेड पे .7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कामेश्वर प्रसाद साहु/ जे0 4452-7ए1/ 2.01.1950/ पुनासी स्पिलवे प्रमण्डल पुनासी, शिविर-देवघर	01.11.72	01.09.2008	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमांकृत नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
3. संपुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

50/-

(मनोज कुमार.)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

50/-

(मनोज कुमार.)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, पुनासी स्पिलवे प्रमण्डल, पुनासी, शिविर-देवघर को श्री कामेश्वर प्रसाद साहु, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त पॉच भाग (मूल) के साथ /संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

50/-

(मनोज कुमार.)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

11109

राँची, दिनांक.....

18-2-14

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोपांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ देव झर्झोरेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

(मनोज कुमार.)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

17/2

पत्रांक :-3/विविध-7-52/2014 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 5427 दिनांक 20.09.2013 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 (पी0बी0-III) ग्रेड पे .7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी रोकक का नाम/ आई0 कोड/जन्मतिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	स्व0 जयप्रकाश सिंह/ जे0 5784/ 15.07.49/ सिंचाई प्रमण्डल, गालुडीह	06.02.1979	06.02.2009	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना, चाण्डिल, आदित्यपुर, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालुडीह /संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।



(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

18.2.14